आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–136/2022

सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत

श्री शंकर चन्द्रवंशी––विक्रेता

प्रति

श्री धनवन्त पाल––क्रेता

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता श्री शंकर चन्द्रवंशी, पिता–स्व० राघवशरण राम चन्द्रवंशी, ग्राम–सिलिदाग, पोस्ट–सिलिदाग, थाना–रमना, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री धनवन्त पाल, पिता–श्री चरितर पाल, ग्राम–भागोडीह, पोस्ट–भागोडीह, थाना–रमना, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, रमना से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर के पत्रांक 275/दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अंचल अधिकारी, रमना का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार के तामिला प्रतिवेदन के साथ प्राप्त हुआ, एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता के नाम से मांग चलता है। विक्रेता जाति के चन्द्रवंशी कहांर (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेता जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) के सदस्य है, विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेता प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल–कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू–हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

अतः उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, श्री बंशीधर नगर एवं अंचल अधिकारी, रमना के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता श्री शंकर चन्द्रवंशी, पिता–स्व० राघवशरण राम चन्द्रवंशी, ग्राम–सिलिदाग, पोस्ट–सिलिदाग, थाना–रमना, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता श्री धनवन्त पाल, पिता–श्री चरितर पाल, ग्राम–भागोडीह, पोस्ट–भागोडीह, थाना–रमना, जिला–गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तानान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः–

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
1	2	3	4	5	6
भागोडीह	189	पुराना–88 नया–300	पुराना–2002 नया–05	0.67½	उ०–झारखण्ड सरकार, द०–बाबुलाल पाल वगैरह, पू०–अमरावती देवी, प०–कैलाश चन्द्रवंशी वगैरह,
			कुल रकबाः–	0.67½	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, श्रीबंशीधर नगर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 23/01/23

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

(हस्ताक्षर) 23/01/23

अपर समाहर्त्ता,
गढ़वा

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2023.02.04 12:55:11 +05:30
Location: 192.168.125.160

Scanned with CamScanner